

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2017/

दिनांक :

-: आदेश :-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर के पत्र क्रमांक F.7(10)/SIHFW/PDC/Part-VII /15-16/11782 दिनांक 19.11.16 के क्रम में (Professional Development Course-XVth Batch at SIHFW) द्वारा दिनांक 19.01.17 से 29.03.17 (10 सप्ताह) तक के कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

| क्र. सं. | चिकित्सक का नाम | पद | पदस्थापन स्थान |
|----------|-------------------------|-----------|--|
| 1. | डा० चरण सिंह | चि०अ०प्र० | प्रा.स्वा.केन्द्र, रुडावल ब्लॉक रूपवास (भरतपुर) |
| 2. | डा० चेतन भारती | चि०अ० | एस०डी०एच० अजीतगढ(सीकर) |
| 3. | डा० राशि अग्रवाल | चि०अ० | जिला चिकित्सालय, सिरौही(सिरौही) |
| 4. | डा० अशोक कुमार दादरवाल | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, फतेहपुर(सीकर) |
| 5. | डा० मोईनुदीन | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, चिराना (झुझनू) |
| 6. | डा० अमित कुमार | चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र,नोखाचन्दावता, ब्लॉक मेडतासिटी(नागौर) |
| 7. | डा० सुनिल कुमार | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, टोडारायसिंह(टोंक) |
| 8. | डा० रवि कुमार सैनी | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, केकडी (अजमेर) |
| 9. | डा० महेश कुमार शर्मा | चि०अ० | प्रा.स्वा.केन्द्र, कारोली, ब्लॉक कोटपुतली(जयपुर) |
| 10. | डा० अरुणा नागर | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, मंडाना(कोटा) |
| 11. | डा० अविनाश शर्मा | चि०अ० | सामु.स्वा.केन्द्र, बेकरिया, ब्लॉक कोटडा (उदयपुर) |
| 12. | डा० मुकेश कुमार मीणा | चि०अ० | राजकीय सआदत, जिला चिकित्साल, टोंक |
| 13. | डा० कविता पानीकर | चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, संता महुआ(दौसा) |
| 14. | डा० जयपाल | चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र, देवगढ(राजसंमद) |
| 15. | डा० गोपाल अग्रवाल | चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र, छोटीखाटू (नागौर) |
| 16. | डा० जोगेश्वर प्रसाद | चि०अ० | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शेरगढ(जोधपुर) |
| 17. | डा० देवेन्द्र कुमार देव | व०चि०अ० | ट्रोमा सेन्टर, बहरोड(अलवर) |
| 18. | डा० बाबूलाल रानोलिया | चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, नूनियागोटडा(झुझनू) |
| 19. | डा० कपिल ताखर | चि०अ० | प्रा०स्वा०केन्द्र, कुडकी जैतारण (पाली) |
| 20. | डा० अजित सिंह चौधरी | चि०अ० | सामु०स्वा०केन्द्र, खेडलीगडासिया, बयाना (भरतपुर) |

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 19.01.2017 को प्रातः 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल-2)/आर.एच. एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिये

कृ०पृ०उ०

- अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
नोट : 1. यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।
2. स्थानान्तरण होने की स्थिति में मनोनयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2017/24

दिनांक : 10/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 11782 दिनांक 19.11.16 के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 19.01.17. को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।